संख्या—994 / एक—10—2021—33(15) / 2020

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र,

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊः दिनांकः 10 जून, 2021

विषयः— जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, सोनभद्र में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक—2720 / दै0आ0सहा—जि0आ0प्र0प्रा0 / मानदेय / 2021—22, दिनांक 22 मई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—01—केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103—खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की सुदृढ़ीकरण हेतु (के.—100 / रा.—0—के.)—07 मानदेय'' मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जनपद सोनभद्र में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) को माह जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक के मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021—22 मे **रूपये 2,10,000 / —(रूपये दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि,** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा—जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग / समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0—2 / 1—11—2013—रा0—11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन / दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369—एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0—42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि 2,10,000/–(रू0 दो लाख दस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103–खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु (के.–100/रा.–0–के.) 07–मानदेय "** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्याः 994 (1)/एक–10–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपित– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
6– वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
7– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
9– राजस्व अनुभाग–6/11
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।